

संचालनालय आयुष, म0प्र0

(भू-तल 'डी' विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांक: 03/10/2023

-विज्ञप्ति-

-स्नातक द्वितीय चरण काउंसिलिंग कार्यक्रम (स्टेट कोटा)-

-बी ए एम एस/बी एच एम एस/बी यू एम एस-

म0प्र0 आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2023 के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नई दिल्ली से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम0पी0 ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जायेगी।


1- प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत द्वितीय चरण का कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	पंजीयन	दिनांक 06/10/2023 से 09/10/2023 रात्रि 11:59 बजे तक
2	अभिलेख सत्यापन	दिनांक 06/10/2023 से 10/10/2023 प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक (रविवार को छोड़कर)
3	रिक्त सीटों की स्थिति	दिनांक 11/10/2023
4	मैरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 12/10/2023
5	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता कम का निर्धारण (च्वाईस फीलिंग, लॉकिंग तथा ऐडिट)	दिनांक 14/10/2023 से 15/10/2023 रात्रि 11:59 बजे तक
6	सीट आवंटन	दिनांक 19/10/2023 दोपहर 12 बजे
7	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 20/10/2023 से 23/10/2023 प्रातः 10 बजे से सायं 07 बजे तक
8	प्रवेश निरस्तीकरण	दिनांक 20/10/2023 से 25/10/2023 सायं 06 बजे तक

नोट:-

- 1- प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाइन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- पंजीयन उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय में अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- 3- उपरोक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुष महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।
- 4- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति हेतु लंबित शासकीय स्वशासी/निजी आयुष महाविद्यालयों को प्रवेशानुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
- 5- निजी नैचरोपैथी एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों को प्रवेशानुमति प्राप्त न होने के कारण काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रवेशानुमति प्राप्त होने पर तदनुसार काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
- 6- नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाईट www.ayush.mp.gov.in एवं एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल-
www.ayush.mponline.gov.in का सतत अवलोकन करते रहें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


प्र0संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0